



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक नवम्बर 14, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 347 वाहनों का चालान किया गया। तथा 11 वाहनों से 8500/ रू० शमन शुल्क वसूला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 43 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मनीराम पुत्र केशव निवासी मर्यादापुर थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 132/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त कम्मल पुत्र दुलारे निवासी 27 नर्सरी थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 203/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामचयन पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम निरनाम पश्चिमी टोला नगेसरपुर थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 322/22 धारा 60(1) ख आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्ता पोनिया पत्नी राम सवारे निवासी शितलापुर भट्टी टोला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 556/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र लालमन केवट निवासी टोला तीनटोलिया थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 150 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 13/14.11.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 48 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।